

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/जो.बीकानेर/एफ.1493/ए.सी.पी./2024/

दिनांक:-

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि0 30.10. 2017 एवं 9.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानानुसार श्री स्वामी अमितानन्द, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ़, चुरु, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25.03.1996 है, को राज्य सेवा में 27 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 25.03.2023 को 27 वर्षीय ए.सी.पी pay matrix L- 11 स्वीकृत किया जाता है ।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुरूप कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

दिनांक:- 12/06/2024

क्रमांक: ई-18/एम/जो.बीकानेर/एफ.1493/ए.सी.पी./2024/14
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चुरु।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ़, चुरु।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करें ।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
6. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

RajKaj Ref
7944695

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-06-2024 06:17:26